जनसहभागिता कार्यक्रम, पुलिस कर्मियों का व्यवहार

Content

Time: 90 min

1. पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम स्थाई आदेश संख्या 11/2018 क्रमांक– 112 दिनांक–17.05.2018
2. पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम, क्रमांक 153 दिनांक 26.06.2018
3. पुलिस जनसहभागिता कार्यक्रम स्थाई आदेश 11/2018 के क्रम में निर्देश, क्रमांक 196 दिनांक 26.07.2018
4. जन सहभागिता स्थाई आदेश 11/2018 के क्रम में निर्देश, क्रमांक 99 दिनांक 06.02.2019
5. पुलिसकर्मियों के व्यवहार के संबंध में परिपत्र क्रमांक– 236 दिनांक–18.02.2019
6. सन्देश (पुलिस कर्मियों के व्यवहार के संबंध में) क्रमांक 133–280 दिनांक 10.01.2005

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : व–15 (1) कम्यूनिटी पुलिसिंग / जनसहभागिता / 18 / 112

दिनांक : 17 मई, 2018

स्थाई आदेश सं. 11 / 2018

विषय :– पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम

आम जनता का विश्वास व सद्भावना अर्जित करने के लिए पुलिस एवं जनता के मध्य निरन्तर सम्पर्क एवं संवाद आवश्यक है। इससे न केवल आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान होता है अपितु पुलिस की कार्यशैली एवं कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। साथ ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास में अभिवृद्धि होती है। अतः पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम को एक अभियान के बजाय नियमित कार्यक्रम के रूप में निरन्तर एवं सतत् रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है।

➢ उद्देश्य :–

(क) पुलिस के सहयोगियों को चिन्हित करना एवं जन सहभागिता के लाभों को आम जनता के मध्य प्रचारित–प्रसारित करना।

(ख) आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों की सूचनाएं व जानकारी प्राप्त कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(ग) लोक न्यूसेन्स एवं जनहित के मामलों का अविलम्ब निराकरण करना।

(घ) पुलिस विभाग से संबंधित जनता की शिकायतों से अवगत होना एवं उनका समाधान सुनिश्चित करना।

➢ निर्देश :–

1. थाना क्षेत्र में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रम की जानकारी यथोचित समय पूर्व संबंधित ग्राम अथवा वार्ड क्षेत्र के लोगों को दी जाए, जिससे कार्यक्रम में क्षेत्र के अधिक से अधिक व्यक्ति उपस्थित हो सके।

2. कार्यक्रम के समय संबंधित ग्राम या क्षेत्र की ग्राम अपराध पंजिका (VCNB), हिस्ट्री शीट्स, राउडी शीट्स व अन्य पेंण्डिग कार्य से संबंधित रिकॉर्ड अपने साथ लेकर जाएं, जिससे उनमें अंकित सूचनाओं का सत्यापन, अपडेशन एवं लम्बित कार्य का कार्यक्रम के दौरान मौके पर ही निस्तारण किया जा सके।

3. जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित निवासियों को सम्बोधित करते समय पुलिस व जनता के बीच बेहतर संबंध एवं समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया जाए और उनसे सहयोग की अपील की जाए। विद्यालयों एवं अन्य स्थानीय महत्वपूर्ण संस्थाओं में जाकर नशा–मुक्ति, अपराध नियन्त्रण, यातायात नियमों के पालन आदि के संबंध में जागरूकता पैदा की जाए।

4. कार्यक्रम के दौरान ऐसे स्थानीय मुद्दों अथवा विवादों की जानकारी जुटाकर निवारक कार्यवाही करवाई जावे जिनमें समय रहते समुचित कार्यवाही नहीं होने का परिणाम भविष्य में हिंसक अथवा आपराधिक रूप ले सकता है। इसी प्रकार उपस्थित लोगों से स्थानीय पुलिसिंग सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाकर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

5. वर्तमान समय में विभिन्न स्थानों पर सी.सी.टी.वी. केमरों का प्रयोग अपराधों की रोकथाम व अन्वेषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। अतः पूर्व में स्थापित केमरों का सतत् संचालन सुनिश्चित किया जाए और अपराध व कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील स्थल चिन्हित किये जाकर विभागीय स्तर अथवा सामुदायिक प्रयासों से केमरे लगवाये जाएं।

6. पुलिस विभाग द्वारा संचालित सभी सामुदायिक योजनाओं उदाहरणतः ग्राम रक्षक दल, किशोर सशक्तिकरण, बाल मित्र पुलिस योजना, नशा मुक्ति अभियान, सामुदायिक सम्पर्क समूह (सी.एल.जी.), सजग पड़ौसी योजना, स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना, छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना, महिला एवं बाल डेस्क, पुलिस परामर्श एवं सहायता केन्द्र इत्यादि की जानकारी उपस्थित जनसमुदाय को दी जाए।

7. साइबर अपराध, सम्पत्ति संबंधी अपराध, लुभावने वादों से की जाने वाली धोखा–धड़ी आदि से सम्बन्धित अपराध और उनसे बचाव सम्बन्धी सावधानियों के बारे में क्षेत्र के निवासियों को सचेत एवं जागरूक किया जाए।

8. क्षेत्र विशेष की विशिष्ट स्थानीय समस्याओं के अनुरूप यथा सीमावर्ती जिलों में संदिग्ध लोगों, अफीम उत्पादक जिलों में मादक पदार्थ तस्करों, हरियाणा व पंजाब के सीमावर्ती जिलों में शराब तस्करों, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में गौ–तस्करों, वाहन चोरों आदि की सूचियां बनाई जाकर उन पर निगरानी रखी जाए और समय–समय पर सूचियों को अपडेट किया जाए।

9. जन साधारण को यातायात के मुख्य–मुख्य नियमों के बारे में जानकारी दी जाए एवं यातायात प्रबंधन, आवश्यकतानुसार पार्किंग स्थलों के चिन्हिकरण, दुर्घटना सम्भावित स्थानों पर बचाव सम्बन्धी उपाय, रोड लाईट दुरूस्तीकरण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

10. समस्त शहरों में जहां यातायात के अधिकारीगण पदस्थापित हैं वे अपने स्तर पर पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम चलाएं। यातायात पुलिस उक्त कार्यक्रम के दौरान टैक्सी, ट्रक यूनियनों, बस ऑपरेटर यूनियन, रोडवेज प्रबन्धन, स्कूल–कॉलेज आदि में सम्पर्क कर वाहन चालकों एवं छात्र–छात्राओं को सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से वाहन चलाने हेतु यातायात नियमों की जानकारी दी जाए।

11. जीआरपी स्टाफ भी इस जन सहभागिता कार्यक्रम में शामिल होकर रेल यात्रियों की समस्याओं के निराकरण एवं रेलगाड़ियों में हो रहे अपराधों के संबंध में यात्रियों को सतर्क करने की कार्यवाही करें।

➢ क्रियान्वयन :–

1. जन सहभागिता कार्यक्रम के अनुसरण में प्रत्येक थानाधिकारी अपने थाना क्षेत्र में सप्ताह में दो कार्यक्रम विभिन्न स्थानों ग्राम/ वार्ड में आयोजित करेंगे। इस तरह थाना क्षेत्र के समस्त ग्राम/ वार्ड में जन सहभागिता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।

2. वृताधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त अपने वृत क्षेत्र में संबंधित थानों, द्वारा आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में सप्ताह में दो कार्यक्रमों में अवश्य भाग लेंगे।

3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपने क्षेत्राधिकार में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में माह में न्यूनतम चार कार्यक्रमों में अवश्य भाग लेंगे।

4. जिला पुलिस अधीक्षक/ उपायुक्त पुलिस जिले में आयोजित जन सहभागिता कार्यक्रमों में माह में न्यूनतम चार कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

5. रेंज स्तर पर रेंज महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त उक्त कार्यक्रम का निरन्तर एवं प्रभावी सुपरविजन करेंगे।

6. पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कम्यूनिटी पुलिसिंग) उक्त जन सहभागिता कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

7. जन सहभागिता कार्यक्रम में की गई कार्रवाई की सूचना पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजे जाने वाले निर्धारित मासिक गोपनीय अर्द्ध–शासकीय पत्र (MCDO) के बिन्दु संख्या–10 सामुदायिक सम्पर्क समूह में (अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त) निम्न प्रोफार्मा में प्रेषित की जाए।

जन सहभागिता कार्यक्रम में की गई कार्यवाही :– माह.....

1	2	3	4	5	6	7
क.	अधिकारी का पद	जनसम्पर्क कार्यक्रमों की संख्या	कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों की संख्या	विद्यालयों व अन्य संस्थानों में विजिट्स की संख्या	कार्यक्रम में प्राप्त परिवादों की संख्या	अभिलेख, अपडेशन एवं अन्य कार्यवाहियों की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त					
2	अति. पुलिस अधीक्षक / अति. पुलिस उपायुक्त					
3	वृत्ताधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त					
4	थानाधिकारी					

(ओ. पी. गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

प्रेषित :–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस / पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षगण मय जी.आर.पी / समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त स्थाई आदेश की प्रति समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी / सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारी को वितरित कर स्थाई आदेश में वर्णितानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान

(1)

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– व–15( )कम्यूनिटी पुलिसिंग/जनसहभागिता /18/153

दिनांक :– 26 जून, 2018

विषयः– पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम

आमजन का विश्वास व सद्भावना अर्जित करने के लिए राजस्थान में पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम को निरन्तर चलाने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्थाई आदेश 11/2018 में जारी निर्देशों के क्रम में निम्न अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाते हैंः–

1. किसी भी क्षेत्र में जिस दिन जन सहभागिता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, उससे एक दिन पूर्व संबंधित बीट कानिस्टेबल को उस क्षेत्र में भेजा जाए, ताकि वह कार्यक्रम से पूर्व उस क्षेत्र में यथासंभव प्रवास / रात्रि विश्राम करके जन सहभागिता कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्र के लोगों को समयपूर्व दे सके और कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

2. बीट कानिस्टेबल द्वारा उस क्षेत्र की जन अपेक्षाओं व ज्वलन्त समस्याओं को चिन्हित कर जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं सहभागियों के समक्ष विचारार्थ एवं निवारणार्थ प्रस्तुत की जावे, ताकि बीट क्षेत्र मे पुलिस प्रयासों का अपेक्षित प्रभाव स्थानीय लोग महसूस कर सकें।

3. जन सहभागिता कार्यक्रम के संचालन में बीट कानिस्टेबल को मंच पर स्थान देते हुए पर्याप्त महत्व दिया जावे ताकि अपने बीट क्षेत्र के लोगों में उसकी प्रतिष्ठा व पहचान कायम रहे।

R-2176
28-6-18

4. जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान उस ग्राम/वार्ड से संबंधित पेण्डि ट्रॉयल प्रकरण जिनमे सी.आर.पी.सी. की धारा 265-A से 265-L अन्तर्गत अभिवाक्–चर्चा (Plea Bargaining) किया जाना संभव उनमें पारस्परिक संतोषजनक व्ययन (Matually Satisfactor Disposition-MSD) से वाद निस्तारण का प्रार्थना–पत्र अभियुक्त प परिवादी से बात कर न्यायालय में पेश करने हेतु प्रेरित किया जावे ताकि ऐसे मामलों में पक्षकारान को लम्बी व खर्चीली न्यायिक प्रकिया से मुक्ति मिल सके और उनके आपसी तनाव से स्थानीय सौहार्द्र के प्रदूषित हो की आशंका नही रहे।

5. जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारी अन्य पेण्डिग कार के साथ उस ग्राम/वार्ड से संबंधित पेण्डिग परिवाद भी अपने साथ लेक जावेंगे और मौके पर जॉच पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।

6. जन सहभागिता कार्यक्रम के दौरान उन समस्त विवादों के सामूहि प्रयास से निराकरण की कोशिश की जावे जिनसे भविष्य कानून–व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना हो।

7. ऐसे सभी परिवाद जो स्थानीय लोगों की सामूहिक परिवेदना (Collectiv Grievance) से संबंधित हो यथा विधुत अथवा पेयजल आपूर्ति व बाधित या अनियमित होना, राज्य सरकार द्वारा संचालित ज कल्याणकारी योजनाओं के कियान्वयन में अथवा जन सेवा प्रदायग (Public Service Delivery) में व्यवधान से जुड़े जन असन्तोष संबंध परिवाद संकलित कर थाने से राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलो करायेंगे।

8. मौके पर प्राप्त अन्य व्यक्तिगत परिवादों को परिवादी द्वारा स्वयं की SSC ID बनाकर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर ई–मित्र केन्द्र के माध्यम स अपलोड करने हेतु मार्गदर्शित किया जावे।

इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारी स्थानीय लोगों से अनौपचारिक संवाद के माध्यम से स्थानीय पुलिसिंग आवश्यकताओं (Local Policing Needs) यथा जुआ–सट्टा, छेड़छाड़, जेबतराशी, चेन–छीनना (Chain Snatching), गुंडागर्दी, दादागिरी, रंगदारी (Extortion), मिलावटखोरी (Adultration), सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी, ब्याज–माफिया, शराब–माफिया, भू–माफिया, खनन–माफिया आदि गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त समाजकंटक तत्वों द्वारा की जा रही स्थानीय न्यूसेंस का पता लगाकर उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई अमल मे लायेंगे ताकि लोगों को ऐसी परेशानियों और समस्याओं से तात्कालिक राहत मिल सके।

26.06.18

(ओ.पी. गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस,
राज0, जयपुर।

प्रेषित :–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।RPA
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी./ समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/ जोधपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निर्देशों की प्रति समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारीगण को वितरित कर तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाये।

(दलपत सिंह दिनकर)
अति0 महानिदेशक पुलिस
(कम्युनिटी पुलिसिंग),
राज0, जयपुर।

कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर

कमांकः—व—15/कम्यूनिटी पुलिसिंग/जनसहभागिता/ 196

दिनांकः—26.07.2018

स्थाई आदेश 11/2018 के कम में निर्देश

विषयः— पुलिस जनसहभागिता कार्यकम

स्थाई आदेश 11/2018 दिनांक 27 मई, 2018 की पालना में राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में पुलिस जनसहभागिता कार्यकम नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस कार्यकम को और अधिक प्रभावी बनाने एवं ऑनलाईन रिपोर्टिंग के उद्देश्य से निम्न अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाते हैंः—

1. जनसहभागिता कार्यकम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
2. जनसहभागिता के कार्यकमों में सभी जाति, वर्ग, व्यवसाय के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
3. पुलिस के सहयोगी एवं इलाके के प्रभावशाली लोगों का डाटा बेस तैयार करने के लिए जनसहभागिता कार्यकम में उपस्थित सभी लोगों से उपस्थिति संलग्न प्रपत्र में दर्ज करवायी जाए।
4. उक्त उपस्थिति प्रपत्रों को थानाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए।
5. 1 अगस्त, 2018 से जनसहभागिता कार्यकम की रिर्पोटिंग ई—मेल द्वारा ना की जाकर कार्यकम समापन के बाद थानाधिकारी, राजस्थान पुलिस पोर्टल, (**Community Policing**) पर क्लिक करके जनसहभागिता कार्यकम में की गई कार्रवाई एवं कार्यकम में उपस्थित लोगों की सूचना को निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन भरना सुनिश्चित करेंगे।
6. उक्त प्रारूप में कार्यकम की महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त विवरण अंकित करेंगे तथा कार्यकम के फोटो यथासंभव अपलोड करेंगे। यदि जिला पुलिस अधीक्षक से उच्च स्तर के अधिकारी यथा रेंज महानिरीक्षक/ पुलिस आयुक्त कार्यकम में उपस्थित होते हैं तो संबंधित बॉक्स में इसकी प्रविष्टि करेंगे।
7. जिला पुलिस अधीक्षक/ उपायुक्त उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण जनसहभागिता कार्यकमों को अपने सरकारी ट्विटर/ फेसबुक/ यूट्यूब/ इंस्टाग्राम अकाउन्ट्स पर अपलोड करेंगे, जिससे जनसहभागिता कार्यकमों का अधिकाधिक प्रचार हो सके एवं ज्यादा से ज्यादा लोग इन कार्यकमों में उपस्थित होने के लिए प्रेरित हों।

(ओ.पी. गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस,
राज0,जयपुर।

प्रेषित :—

1. समस्त विशिष्ठ महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान। RPA
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षगण मय जी.आर.पी/ समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/ जोधपुर को भेजकर लेख है कि दिशा निर्देशों की प्रति समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी/ सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारी को वितरित कर स्थाः आदेश में वर्णितानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए।

महानिदेशक पुलिस,
राज0,जयपुर।

R-2397
30-7-18

PTO

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः–व 15 (11) कम्यू. पुलिसिंग/जनसहभागिता/2019/99 दिनांकः–06/02/2019

स्थाई आदेश 11/2018 के क्रम में निर्देश

विषय :– जन सहभागिता

स्थाई आदेश 11/2018 दिनांक 27 मई, 2018 की पालना में राजस्थान पुलिस द्वारा प्रदेश में पुलिस जन सहभागिता कार्यक्रम नियमित रूप से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न अतिरिक्त निर्देश जारी किए जाते है:–

1. जन सहभागिता बैठक की सूचना एक सप्ताह पूर्व विभिन्न संचार माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों को दी जाए। इसमें बीट कानि0 एवं सोशल मीडिया का भी पूर्ण उपयोग किया जाए।
2. जन सहभागिता बैठक स्थल के चुनाव करते समय पूर्व में घटित गम्भीर अपराध एवं कानून–व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रखा जाए और प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं स्थानों पर जन सहभागिता की बैठक रखी जाए।
3. जन सहभागिता बैठक में सदस्यों द्वारा उठाये गए मुद्दों का संक्षिप्त नोट तैयार कर पुलिस वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
4. नागरिकगण द्वारा उठाई गई समस्याओं को स्थानीय स्तर पर निस्तारित किया जाए। राज्य स्तरीय समस्याओं को पुलिस मुख्यालय के ध्यान में लाया जाए।
5. जन सहभागिता कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों के लोगों शामिल किया जाए ताकि प्रत्येक वर्ग में पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाया जा सके।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. समस्त अति0 महानिदेशक पुलिस, राजस्थान। RPA
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस/ पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण मय जी.आर.पी./समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर को लेख है की दिशा निर्देशों की प्रति समस्त अति0 पुलिस अधीक्षक/अति0 पुलिस उपायुक्त, वृत्ताधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त, थानाधिकारी को वितरित कर स्थाई आदेश में वर्णितानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जावें।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

1443
8/2/19

(107)

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांकः व–15( ) पुलिस–प्रशासन/2019/236 दिनांक :– 18/02/19

परिपत्र

विषय :– पुलिसकर्मियों के व्यवहार के संबंध में।

पुलिस के प्रति आमजन के विश्वास को जीतने तथा पुलिस की छवि को बेहतर बनाने में पुलिस कर्मियों के व्यवहार का बहुत अधिक योगदान होता है। कालांतर में पुलिस को विश्वसनीयता के फलस्वरूप नागरिकगण का सहयोग मिल पाएगा जो विभाग के कार्य के स्तर को सुधारने में उपयोगी साबित होगा।

2. इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा नागरिकगण के साथ सद्व्यवहार किया जाए। इस संबंध में पूर्व में भी इस कार्यालय के संदेश कमांक व–15(3) पुलिस–प्रशासन /2005/133–280 दिनांक 10.01.2005 (प्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं जिनकी पूरे मनोयोग से पालना किया जाना अपेक्षित है।

3. अतः आप इस परिपत्र का गहनता से एक बार पुनः अध्ययन करें। इन निर्देशों की पालना हेतु निम्नलिखित उपाय किये जाएः–

(1) सभी स्तर पर रोल कॉल में बताया जाए।
(2) नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए।
(3) सभी बैठकों में इस संबंध में जागरूक किया जाए।
(4) नागरिकगण की विभिन्न समितियों जैसे कि CLG, शांति समिति, आदि के माध्यम से इस संबंध में जानकारी ली जाए।
(5) अप्रत्यक्ष रूप से जाँच कर व्यवहार के बारे में जानकारी ली जाए। इस हेतु अज्ञात फोन से बातचीत की जा सकती है तथा किसी व्यक्ति को व्यक्तिशः भेजा भी जा सकता है।
(6) अच्छा व्यवहार करने पर पुरस्कृत किया जा सकता है।
(7) व्यवहार अवांछित स्तर का पाए जाने पर उपयुक्त दंड प्रदान किया जाए।

इन निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(कपिल गर्ग)
महानिदेशक पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1–महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण/एटीएस एवं एसओजी/प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
2–समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3–समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राज./पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
4–समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर। Pers
5–समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर।
6–समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7–समस्त पुलिस अधीक्षक, राज. मय जी0आर0पी0 अजमेर/जोधपुर।
8–समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन मय आई0आर0 बटालियन/ एसडीआरएफ/हाडी रानी महिला बटालियन/प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान।
9–समस्त जोन आफिसर, सीआईडी (सी0बी0)/आई0बी0, राजस्थान।
10–पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राज0 जयपुर।

महानिदेशक पुलिस
प्रशासन,राजस्थान, जयपुर।

108

१

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

क्रमांक : प–15 (3) पुलिस–प्रशासन/2005/133–280 दिनांक : 10.1.2005

:– सन्देश –:

प्रायः यह देखा गया है कि जब समाचार पत्रों में पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार व जनसाधारण के साथ बबरतापूर्वक तरीके से मारपीट करने की खबरें प्रकाशित की जाती है तो पूरे पुलिस विभाग के प्रति एक आक्रोश एवं विरोध के स्वर उभरने लगते हैं । जनमानस में पुलिस का निन्दनीय एवं घृणित रूप मानसपटल पर अमिट छवि के रूप में स्थापित होता है । पुलिस के अधिकारियों व सभी स्तर के पुलिसकर्मियों को शर्म एवं पश्चाताप की भावना महसूस होने लगती है ।

हाल ही में पुलिसकर्मियों द्वारा जीप ड्राईवर को पीटने के कारण जयपुर–अजमेर राष्ट्रीय मार्ग भांकरोटा चौराहे पर ट्रक व वाहन चालकों द्वारा घण्टों जाम लगा कर विरोध प्रकट किया गया । जयपुर में चांदपोल बाजार में दो भाईयों को मामूली सी बात पर थाने के सिपाहियों द्वारा मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाने के कारण वृत्ताधिकारी द्वारा पुलिसकर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई । चांदपोल चौकी के ही इंचार्ज द्वारा एक महिला से छेड़छाड़ करने के कारण निलम्बित कर मुकदमा दर्ज किया गया । जोधपुर में भी निर्दोष तीन लोगों को थाने में लाकर मारपीट के आरोप मे मण्डोर थाने के पुलिस के ड्राईवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया । संदिग्ध व्यक्ति को शास्त्रीनगर थाने में 7 दिन तक बेवजह हवालात में रख कर मारपीट करने के आरोप पुलिस पर लगे । उदयपुर जिले के परसोला थाने में चोरी के आरोपी की माँ को चौकी पर लाकर मारपीट करने के आरोप में धरियावद के उप अधीक्षक पुलिस द्वारा जांच की गई । अलवर जिले में राजगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा दो भाईयों को बेरहमी से मारपीट कर घायल करने के कारण अदालत में इस्तगासा दायर किया गया ।

इस प्रकार की घटनाएं अन्य जिलों के पुलिसकर्मियों द्वारा भी कारित करने के समाचार समय समय पर छपते रहते हैं ।

पुलिस के अधिकारी व अधीनस्थ पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के निर्वहन के दौरान जनता के सीधे सम्पर्क में आते हैं । पीड़ित पक्ष के लोग भी थाने या चौकी के कर्मियों के समक्ष अपनी शिकायत लेकर उपस्थित होते हैं । यातायात पुलिस के अधिकारी व कानिस्टेबल भी ट्रैफिक चैकिंग और संचालन के दौरान जनता व वाहन चालकों से सीधे आमने–सामने आते हैं । विभिन्न कानून व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए व शान्ति व्यवस्था बनाने की प्रकिया के दौरान भी पुलिस व जनता का आमना–सामना होता है । इसके अलावा पुलिस के बड़े बन्दोबस्त अथवा वी0आई0पी0 दौरों के समय पर भी पुलिसकर्मी नागरिकों से रोक–टोक व भीड़ नियंत्रण के लिये सम्पर्क में आते रहते हैं । इन सभी अवसरों पर कुछ पुलिसकर्मी व अधिकारियों के दुराचरण का जनता के लोगों का कोपभाजन बनना पड़ सकता है । पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार व अवांछित आचरण का जनता द्वारा विरोध किया जाता है और समाचार पत्र भी ऐसी खबरों को सुर्खियों में प्रकाशित करते हैं ।

इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि पुलिस अधिकारियों व जवानों द्वारा जनता के प्रति दुर्व्यवहार की घटनाओं की रोकथाम करने के तुरन्त उपाय किये जाये । जिससे अनावश्यक बुराई पुलिस को नहीं मिले और पुलिस की गिरती साख को भी रोका जा सके ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग व अन्य संगठनों द्वारा भी पुलिस द्वारा जनता के मध्य मधुर संबंधों के बारे में समय समय पर जोर दिया गया है । बहुधा पुलिसकर्मियों के आचरण को विदेशों व उन्नत पश्चिमी देशों के पुलिस के सद्व्यवहार से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाता है । पश्चिमी देशों की पुलिस के सदस्य बडी शालीनता व नम्रता से जनसाधारण को सम्बोधित करते हैं जबकि स्थानीय पुलिस के लोग इसके विपरीत आचरण के दोषी चित्रित किये जाते हैं ।

कानून एवं व्यवस्था बनाने व अपराधों की खोजबीन में जनसाधारण का सहयोग व लिप्तता के लिये भी यह आवश्यक है कि पुलिस सद्व्यवहार के लिये पहल की जावे । आपका शालीन व्यवहार तथा शिष्टता प्रत्येक नागरिक के प्रति होनी चाहिए न कि केवल उच्च जीवन स्तर , प्रभावशाली व्यक्तित्व, राजनेता तथा उच्चाधिकारियों के लिये ।

आमतौर पर यह शिकायतें मिल रही है कि थानों के सन्तरी आगन्तुकों को थाने में प्रवेश नहीं करने देते हैं और अनावश्यक टोका–टोकी व पूछताछ कर आने वालों को बाहर से ही भगा देते हैं । शिकायतकर्ता या आहत व्यक्ति को पुलिस की तरफ से सहायता मिलने व कानूनी कार्यवाही करने की शुरूआत ही नहीं हो पाती है तथा दुखी व परेशान व्यक्ति न्याय की उम्मीद में जगह जगह भटकते रहते हैं । इस प्रकार पुलिस अपने कर्तव्यों से विमुखता की दोषी बनती है और आमजन की परेशानी व दुख का भी निदान नहीं हो पाता है । पुलिस की संवदेनशीलता के बारे में जनता का विश्वास उठ जाता है ।

जनता में प्रतिष्ठा हेतु प्रत्येक पुलिसकर्मी को निम्नलिखित अनुकरणीय कृत्यों को अपने व्यवहार में समावेश करना चाहिए तथा नकारणीय कृत्यों से परहेज करना चाहिए ।

पुलिसकर्मियों द्वारा अपने दायित्व / कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अनुकरणीय कृत्य :–

1– प्रत्येक नागरिक के साथ शिष्ट एवं शालीनतापूर्ण व्यवहार करें तथा उसे श्रीमान, महोदय, जनाब, सर आदि उपयुक्त संबोधन से सम्बोधित करें ।

2– जन साधारण के समूह को सम्बोधित करने के लिए – सज्जनों, नागरिकगण, महानुभावों, (कर्मचारी साथियों, छात्रगण , डॉक्टर साहबान, पत्रकारगण , युवा साथियों) इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

3– महिलाओं के प्रति विशेष आदरपूर्ण व सम्मानजनक अलंकारों से सम्बोधित किया जाना चाहिए जैसे मैडमजी, बहिन जी, माताजी – आदि ।

4– टेलीफोन ड्यूटी पर तेनात पुलिसकर्मी द्वारा शिष्टाचार की सही पद्धति का अनुसरण कर सर्वप्रथम "जय हिन्द अथवा नमस्कार" – श्रीमान मैं अमुक पुलिसकर्मी अमुक थाने / चौकी / स्थान से बोल रहा हूँ" से वार्ता प्रारम्भ करें ।

5– नागरिक द्वारा टेलीफोन अथवा व्यक्तिशः अपनी बात बताने पर उसकी बात धैर्य से सुने तथा उसे उचित कार्यवाही का आश्वासन दें ।

6– यदि टेलीफोनकर्ता अथवा पुलिस से सम्पर्क करने वाला व्यक्ति पीड़ित है तो उसे सान्त्वना देते हुए सहायता प्रदान करने की कार्यवाही करें । टेलीफोन से प्राप्त सूचना का संक्षिप्त विवरण कागज पर अंकित कर थानाधिकारी / वरिष्ठ अधिकारी को कार्यवाही हेतु अतिशीघ्र प्रस्तुत करे ।

7– सन्तरी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा प्रत्येक आगन्तुक को थानाधिकारी अथवा अन्य उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी से मिलने में सहायता करनी चाहिए ।

8– यातायात नियन्त्रण हेतु तैनात पुलिसकर्मी द्वारा वाहनों की चैकिंग के दौरान वाहन चालकों से सामानजनक व्यवहार किया जाये तथा अपने कर्तव्य पालन के लिए नम्रतापूर्वक – ("श्रीमान अपना लाईसेन्स दिखावें इत्यादि वाक्यों / प्रश्नों का प्रयोग किया जाये")

9– अति विशिष्ठ व्यक्तियों के दौरों, राष्ट्रीय पर्व, मेले, त्यौहारों, जुलूसों इत्यादि एवं अन्य कारणों से आवागमन पर प्रतिबन्ध आदि के लिए तैनात पुलिसकर्मी द्वारा शिष्टतापूर्वक स्थान परिवर्तन / मार्ग परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए तथा नागरिकगण की दैनिक दिनचर्या में उत्पन्न अवरोध के लिए खेद प्रकट करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए ।

10– अनुसंधान अधिकारी तथा उसके सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा गवाहों, पडौसियों अथवा प्रत्यक्षदर्शियों से शालीनतापूर्वक व्यवहार कर उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिए ताकि घटना का सही घटनाक्रम / परिस्थितियाँ उजागर हो सके ।

पुलिसकर्मियों द्वारा अपने दायित्व / कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान नकारणीय कृत्य :–

1– नागरिक के व्यक्तित्व, सामाजिक / आर्थिक स्तर, रंग अथवा जाति के आधार पर सम्बोधन में भेदभाव नहीं होना चाहिए । शिष्ट व्यवहार के सब हकदार हैं ।

2– किसी भी नागरिक द्वारा भड़काने वाली भाषा अथवा आक्रामक रूख से उत्तेजित न हो तथा विपरीत परिस्थिति में भी अपने दायित्व निर्वहन से विमुख न हों ।

3– थाने के सन्तरी द्वारा आगन्तुकों, शिकायतकर्ता, आहत व्यक्ति अथवा अन्य किसी भी नागरिक को थाने में प्रवेश करने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न की जावे ।

4– पुलिस की धौंस या रोबदाब दिखाकर नागरिकों को कोई सूचना या सुराग देने के लिए बाध्य नहीं किया जावे ।

5– लम्बे समय तक यातायात अवरूद्ध होने के कारण जनसाधारण को अनावश्यक कष्ट अथवा परेशानी उत्पन्न नहीं करें ।

उपरोक्त विषय में थाना इंचार्ज अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को रोलकॉल में प्रातः / सायं समझाईश करें व समय समय पर उनसे विस्तार से विचार–विमर्श कर निर्देशों की पालना करावें । पुलिस दुर्व्यवहार की समाचार पत्रों में छपी घटनाओं का उदाहरण देकर पुलिसकर्मियों को बतावें कि ऐसी घटनाओं से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस की बदनामी भी होती है । प्रत्येक थानाधिकारी व वृत्ताधिकारी की यह ड्यूटी है कि थाने का जो भी जाप्ता इलाके में तैनात किया जावे उसके ड्यूटी के दौरान पूर्ण नियंत्रण व पर्यवेक्षण रखा जावे । थाने में जाप्ते की ड्यूटी लगाने से पूर्व भली प्रकार ब्रीफिंग की जाकर ड्यूटी के लिए रवाना किया जावे । प्रत्येक पुलिसकर्मी की गतिविधियों व कार्यशैली व जनता से सीधे सम्पर्क के दौरान शिष्टाचारपूर्ण आचरण के लिए थाना इंचार्ज जिम्मेदार होंगे । यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कोई भी पुलिसकर्मी स्वेच्छापूर्वक पुलिस ड्यूटी के नाम पर जनता से दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली–गलौच नहीं करें । प्रत्येक पुलिसकर्मी अपने से वरिष्ठ हैड कानि० / स०उ०नि० / उप निरीक्षक इत्यादि में से किसी के अधीन सीधे नियंत्रण व देख–रेख में ही अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी पूरी करें ।

थाना इंचार्ज व वरिष्ठ अधिकारीगण स्वयं भी अधीनस्थ कर्मियों से सद्व्यवहार व सहानुभूतिपूर्वक आचरण करें ताकि वे भी जनता से मृदुभाषी हो सकें । अपने अधीनस्थ को प्रथम नाम, उपनाम अथवा रैंक के साथ साहब जैसे सम्बोधन से सम्बोधित किया जाना चाहिए । स्वेच्छाचारी व दुराचारी अधीनस्थों को धमकी, अपशब्द या गाली–गलौच न करके विभागीय नियमों के अनुसार दण्डित किया जाना चाहिए ।

इस परिपत्र के माध्यम से मैं यह पहल करना चाहता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि राजस्थान पुलिस के सभी पुलिसकर्मी यह संकल्प लेवें कि वे आज से ही जनसाधारण के साथ एक विनम्र जन सेवक के रूप में सदाचारी व शिष्टाचारी पुलिसकर्मी बन कर पेश होंगे और प्रत्येक नागरिक को पूरा सम्मान देते हुए श्रीमान के नाम से उन्हें सम्बोधित करेंगे ।

मुझे विश्वास है कि आप सभी राजस्थान पुलिस को आदर्श पुलिस बनायेंगे । मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं ।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान जयपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1–समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ।
2–समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
3–समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान ।
4–प्रिन्सीपल आर०पी०टी०सी० जोधपुर ।
5–वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर ।
6–निदेशक पी०टी०सी० / विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर ।
7–समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान ।
8–समस्त कमाण्डेन्ट, आर०ए०सी० मय आई०आर० बटालियन / एम०बी०सी० खैरवाड़ा / पी०एम०डी०एस० बीकानेर / एस०टी०एस० जयपुर ।
9–समस्त कमाण्डेन्ट पी०टी०एस० जोधपुर / किशनगढ / समस्त जोन अधिकारी सी०आई०डी० / एस०बी० राजस्थान ।
10–पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय राज० जयपुर ।
11–समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेंज सैल, सी०आई०डी०(सी०बी०) राजस्थान ।

महानिदेशक पुलिस
राजस्थान जयपुर ।